संख्या ए-12023/2/2017-प्रशा.IV

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

पाँचवां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 8th मार्च, 2017

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
3. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
4. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
5. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
6. रजिस्ट्रार, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण
7. कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सभी क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक

विषयः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्यों के 04 (चार) पदों को भरना-आवेदन पत्र मंगाने के लिए।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के चार पदों के लिए **अनुलग्नक-I** में दिए गए प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

2. चयनित उम्मीदवारों के लिए चरणबद्ध रुप में देश के विभिन्न भागों में गठित या भविष्य में गठित की जाने वाली राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की किसी भी खण्डपीठ में रिक्तियों/कार्य की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए अखिल भारतीय स्थानांतरण के आधार पर कार्य करना अपेक्षित होगा।

3. **अर्हताएं:** उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1072/2013 में दिए गए दिनांक 14 मई, 2015 के निर्णय के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा जबकि वह,

(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, अथवा

(ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायाधीश है, या रहा चुका है, अथवा

(ग) किसी न्यायालय में कम से कम दस वर्षों के लिए अधिवक्ता रह चुका है।

स्पष्टीकरण: खंड (ग) के उद्देश्यों के लिए, उस अवधि की गणना करते समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका है, वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान वह व्यक्ति संघ या किसी राज्य के तहत किसी अधिकरण में न्यायिक पद या सदस्य के पद पर या किसी ऐसे पद पर रहा हो जिसके लिए अधिवक्ता बनने के बाद कानून का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।

4. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रुप में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक **50 (पचास वर्ष) की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)]** पूरी कर चुका हो।

5. **नियुक्ति की शर्तेः** सदस्य 67,000-79,000/- रुपए (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) (पूर्व संशोधित) और यथा अनुमेय भत्ते प्राप्त करेगा। वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2015 द्वारा शासित होंगे। नियमों की एक प्रति कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है।

6. प्रत्येक सदस्य अपना कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा परंतु वह अतिरिक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। तथापि नियुक्ति का कार्यकाल 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन है।

7. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व एक चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. पहले से ही सरकारी सेवा करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाने चाहिए। अग्रेषण प्राधिकारी को यह भी प्रमाणित(अनुलग्नक II में दिए गए प्रपत्र में) करना होगा कि आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियों का सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है तथा इन्हें सही पाया गया है और आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित है अथवा न ही करने का विचार है एवं पिछले 10 वर्षों के दौरान इस अधिकारी पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है। अग्रेषण प्राधिकारी को आवेदक के पिछले 5 वर्षों के अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर भी संलग्न करने होंगे। यदि चयनित व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, में धारणाधिकार रख सकता है जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9. आवेदन-पत्र **<u>अनुलग्नक-I</u>** में दिए गए प्रपत्र में विधिवत रुप से पूर्ण कर श्री नवनीत चौहान, निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 530, 'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को 24 अप्रैल, 2017 तक अवश्य मिल जाने चाहिए। आवेदन पत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in. या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की वेबसाइट www.nclt.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

भवदीय,

(**राकेश कुमार**)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-2338 7939

प्रतिलिपिः

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय के सभी अधिकारी, नई दिल्ली।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. ई-गर्वनेंस सेल, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद के लिए आवेदन का प्रपत्र

1.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		*पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की अनुप्रमाणित प्रति चिपकाएं*
2.	पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		
3.	जन्म तिथि (मान्य दस्तावेज प्रमाण संलग्न किया जाना है)		
4.	पिता का नाम		
5.	पत्राचार का पता (दूरभाष/फैक्स संख्या/ई-मेल सहित) (ई-मेल आईडी अनिवार्य है)		
6.	स्थायी पता (दूरभाष/फैक्स संख्या सहित)		
7.	वर्तमान व्यवसाय/वृत्ति/नौकरी		
8.	पिछले तीन वर्षों की व्यवसायिक आय/परिलब्धियां (वर्षवार ब्यौरे दें)		

9\. विपरीत कालानुक्रम में शैक्षिक योग्यताएं
(डिग्री/डिप्लोमा की स्वत: अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	शैक्षिक विशेष योग्यता	विषय/ विशेषज्ञता

10.	बताएं कि न्यायिक सदस्य के लिए पैरा 3(क) से (ग) और पैरा 4 में उल्लिखित संबंधित योग्यता मानदंड पूरे होते हैं। पात्रता के संगत पैरा का भी उल्लेख करें।	

11\. नीचे दिए गए प्रपत्र में विपरीत कालानुक्रम में वर्तमान और पूर्व रोजगार के ब्यौरेः

नियोजक का नाम और पता	धारित पद और वर्तमान वेतन सहित वेतनमान	क्या नियमित/ प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर हैं	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/अनुभव
			से	तक	

12.	**व्यावसायिक वृत्ति के ब्यौरे (जहां लागू हो):-** **अधिवक्ता** (क) नामांकन की तिथि (ख) प्रैक्टिस के वर्षों की वास्तविक संख्या (ग) स्थान तथा/या कोर्ट जिसमें पहले प्रैक्टिस की हो तथा अवधि (घ) प्रैक्टिस की प्रकृति के ब्यौरे - सिविल, फौजदारी, संवैधानिक, कराधान, श्रम, कंपनी, सेवा आदि (ङ) कंपनी अधिनियम के तहत उन महत्वपूर्ण मामलों के ब्यौरे जिनमें आवेदक ने काउंसेल के रूप में कार्य किया। (च) विशेषज्ञता का क्षेत्र, यदि कोई हो (इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेजों और साथ ही पात्रता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न की जाएं)	
13.	पदभार ग्रहण करने हेतु अपेक्षित सूचना की अवधि	
14.	यदि उम्मीदवार सरकारी सेवा में न हो, तो दो जिम्मेदार व्यक्तियों (जो रिश्तेदार न हों) के नाम व पते	
15.	कोई अन्य विशेष योग्यता अथवा अनुभव अथवा आवेदक के प्रकाशन **(अलग शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)**	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है। चयन होने की दशा में, मैं सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित पद से संबंधित शर्तों एवं निबंधनों का पालन करूंगा।

स्थान :-

तिथि :-

(हस्ताक्षर)

नाम : ______________________

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि .... द्वारा दिए गए विवरण सही हैं तथा वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखते करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उनके पिछले पांच वर्षों के सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे उच्च अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं।

(iv) "पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई प्रमुख/गौण शास्ति नहीं लगाई गई है।"

(v) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए प्रमुख/गौण शास्तियों की सूची संलग्न है।"

हस्ताक्षर ....

नाम और पदनाम ....

दूरभाष ....

कार्यालय मुहर

स्थान :

दिनांक :

अनुलग्नकों की सूची :

1.

2.

3.

4.

5.

(जो लागू न हो उसे काट दें)